संख्या -3292/III(2)/19-53(एम.एल.ए.)2017

प्रेषक,

एस.एस. टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 सितम्बर, 2019

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र- जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड में विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 9.00 कि0मी0 एवं लागत ₹ 20.73 लाख है, पर **शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 27.65 लाख (रुपये सत्ताईस लाख पैंसठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रुपये दस हजार मात्र) अर्थात कुल 2 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (रुपये बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदुपरान्त शासनादेश सं0-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) तदनुसार स्वीकृत आगणनों में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में व्ययात्मक कार्य अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत संगत योजना में प्राविधानित बजट से निवर्तन में रखी गयी धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(22) 8

(ix)-- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित [illegible] अभियन्ता का होगा।

(x)-- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रू. 0.20 लाख का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-103/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेन्ट आई.डी. संख्या- S1909022007 दिनांक 04 सितम्बर, 2019 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22--लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-- 337--सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 339/XXVII(2)/2019 दिनांक 04 सितम्बर 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस.एस. टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-3292-**(1)III(2)/19-53(एम.एल.ए.)/2017 तद्दिनांकित।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या–3912/III(2)/19-53(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 का संलग्नक 23

9

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकास खण्ड के ग्राम पुभाऊ से कुमाल्यो मनझा–काभड़ी–सुरना–खड़ियानौली तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	5.00	14.00	0.10
2	जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकास खण्ड के ग्राम नुलेडी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) कोकिलागाँव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)।	4.00	13.65	0.10
	कुल :–	9.00	27.65	0.20

(कुल रूपये बीस हजार मात्र)

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव